1. रेशम उत्पादक हेतू उत्प्रेरक विकास योजना

i) विभाग के लंबी अवधि के उदेश्य

a) समूहों में रेशम उत्पादन का चौतरफा विकास

b) बाइवोल्टाईन रेशम को प्रोत्साहित करना

c) बेकार एवं बंजर जमीन जैसे भौतिक संसाधनों का विकास करके उसे रेशम उत्पादन के योग्य बनाना

d) प्रशिक्षण तथा वांछित जानकारी प्राप्त करके प्रबन्धन एवं तकनीकी कुशलता सुनिश्चित करना

e) आम जनों में संस्थागत योग्यता बनाना

f) रेशम उद्योग को आवश्यकता अनुसार तन्त्र सहायता प्रदान करना ताकि उद्योगों को लगातार कच्चा माल मिलता रहे

ii) विभाग के मध्यम अवधि के उदेश्य (पांच वर्ष)

a) शहतुत पौधा रोपण के तहत क्षेत्र विस्तार

b) रेशम पालन गृहों के माध्यम से रेशम पालकां की संख्या में वृद्धि करना

c) रेशम की उपज व गुणवत्ता में सुधार करना

d) किसानों में प्रशिक्षण, सेमीनार, भ्रमण, कार्यशाला द्वारा जागृति पैदा करना

iii) वार्षिक उदेश्य एवं संभावित असर

a) शहतुत पौधा रोपण के तहत क्षेत्र विस्तार

b) किसानों को रेशम कीट पालन के लिए प्रोत्साहित करना

c) किसानों को विस्तार सेवाएं उपलब्ध करवाना

d) किसानों में रेशम कीट पालन तकनीकी बारे जागृति पैदा करना

iv) रणनीति

a) परियोजना की कार्ययोजना जिला पंचकुला, यमुनानगर व अम्बाला में शहतुत के पौधा रोपण, रियरिंग हाउस के निर्माण तथा रियरिंग के यन्त्र उपलब्ध करवाकर पूरी की जायेगी।

b) रेशम पालक किसानों को संसार के विभिन्न माध्यमों से जानकारी देकर रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा

c) रेशम को अन्य फसलों के स्थान पर प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि शहतुत को अन्य फसलों का स्थानापन बनाया जा सके

d) किसानों को अच्छी किस्म के शहतुत के पौधे उपलब्ध करवाकर अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम उत्पादन करना

v) गतिविधि/योजना के प्रारम्भ होने की स्थिति में स्कीम को वापिस लेना

इस स्कीम को वर्ष 2009–10 में जिला पंचकुला, अम्बाला व यमुनानगर में रेशम उत्पादन को बढावा देने के लिए बनाया गया है। 128 है0 क्षेत्र को शहतुत के अधीन लिया गया है। इसके तहत अनुदान के लिए भारत सरकार का हिस्सा जारी होने उपरान्त फण्ड मांगे जायेंगे। वित्त विभाग केन्द्र तथा राज्य दोनों की रिलिज जारी करेगा।

vi) रिपोर्टिंग प्रणाली/प्रारूप

सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जब–जब जरूरत होगी रिपार्ट भेजी जायेगी। यद्यपि बजट उपयोग संबंधी रिपोर्ट ओन–लाईन उपलब्ध होगी।

vii) आन्तरिक/तृतीय पक्ष मुल्यांकन विधि

यह स्कीम अमले के वेतन तथा ढांचे के विकास के लिए है। आन्तरिक आडिट विभाग द्वारा किया जायेगा तथा स्कीम का आडिट प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।